Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Appeal No.- 265/2022
Nisar Ahmad.....Appellant/Petitioner.
Versus
The State of Bihar & Ors.....Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	15.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–10757/2020 में दिनांक–24.11.2022 को पारित आदेश के आलोक दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस न्यायालय द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–03/2019 में दिनांक–09.07.2020 एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना द्वारा दिनांक–18.09.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उपरोक्त याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिनांक–24.11.2022 को उक्त दोनों आदेश को निरस्त करते हुए इस न्यायालय में पुनः विचार कर मुखर आदेश पारित करने के निदेश के आलोक में दायर किया गया है। इनकी ओर से लिखित बहस दाखिल करते हुए कहा गया है कि पंचायत बकेनिया बरेली प्रखंड–अमौर, जिला–पूर्णिया अंतर्गत आवेदक सहित कुल 7 अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अंतर्गत अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। जिला चयन समिति, पूर्णिया द्वारा उत्तरवादी सं0–06 मो0 मेहरबान आलम के आवेदन पत्र की कंडिका 03 से 12 तक रिक्त रहने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत की गई थी। विपक्षी सं0–06 द्वारा लोक शिकायत निवारण अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकार आयुक्त, पूर्णिया के समक्ष दायर अपील वाद भी उक्त के आधार पर अस्वीकृत किया जा चुका है। उत्तरवादी सं0–06 द्वारा इस न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद सं0–03/2019 दायर किया गया। जिसमें सुनवाई पश्चात अमौर–प्रखंड के हीं किसी दिलनवाज के आवेदन की कंडिका 03 से 12 पूर्णतः रिक्त रहने के	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 15.03.2023	आधार पर अनुज्ञप्ति हेतु निर्गत किये जाने एवं चयनित किये जाने क्रमशः का आधार प्रस्तुत किया गया, जिसके आलोक में तात्कालीन आयुक्त द्वारा चयन समिति के उक्त निर्णय को परस्पर विरोधाभाषी एवं पक्षपातपूर्ण मानते हुए वाद को निरस्त कर उत्तरवादी सं0–06 के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। उक्त के विरूद्ध आवेदक द्वारा सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपील सं0–04/20 दायर किया गया, जिसमें तात्कालीन आयुक्त के आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि पूर्व का न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इन्टरमिडियट एवं डिप्लोमा तथा डी0सी0ए0 की कम्प्यूटर डिग्री के आलोक में इनका चयन किया गया था। उत्तरवादी सं0–06 के आवेदन की कंडिका 03 से 12 तक पूर्णतः खाली रहने के आधार पर उत्तरवादी सं0–06 का चयन नहीं किया गया था। यह स्थापित विधान है कि किसी भी आवेदन के अपूर्णता पर कोई विचार नहीं किया जाना नियमानुकूल एवं वैध निर्णय है। अपीलार्थी उक्त अनुज्ञप्ति हेतु पूर्णतः योग्य अभ्यर्थी है, जिनका आवेदन पूर्णतः भरा हुआ एवं सही पाते हुए चयन समिति द्वारा इनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत की गई थी। इस प्रकार इनकी ओर से वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–06 मो0 मेहरबान आलम के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिला चयन समिति के द्वारा प्रकाशित अंतिम मेधा सूची में इनका नाम मेधा क्रमांक 01 पर एवं अपीलार्थी का नाम मेधा क्रमांक 03 पर दर्ज है तथा वर्त्तमान उत्तरवादी वाणिज्य स्नातक एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक है। जबकि अपीलार्थी मात्र इन्टरमिडियट उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर की योग्यता रखते है। जिला चयन समिति द्वारा वर्त्तमान उत्तरवादी के आवेदन की कंडिका 03 से 12 तक पूर्णतः रिक्त रहने के एक मात्र कारण के आधार पर अनुज्ञप्ति से वंचित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा आपूर्ति अपील सं0–03/2019 में किसी दिलनवाज आलम के अपूर्ण आवेदन पर उन्हें चयनित किये जाने के आलोक में नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 15.03.2023	तहत वर्त्तमान उत्तरवादी के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश निर्गत किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11 के आलोक में क्रमशः आवेदन अपूर्णता के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। बल्कि योग्यता एवं मेधा सूची के आधार पर चयन किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत वाद अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला अपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पत्रांक–252, दिनांक–06.02.2023 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति के आदेश को विधि मान्य नहीं मानते हुए चयनित अभ्यर्थी मो0 निसार अहमद के अनुज्ञप्ति को निरस्त करते हुए मो0 मेहरबान आलम के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु दिनांक–09.07.2020 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष दायर अपील वाद में विभागीय पत्रांक–3759/खाद्य, दिनांक18.09.2020 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश को तर्कपूर्ण एवं विधि सम्मत मानते हुए पुनः परीक्षण का कोई औचित्य नहीं बताया गया है। उक्त के आलोक में सर्वसम्मति से अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी द्वारा मो0 मेहरबान के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से समुचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि चयन समिति द्वारा दिनांक–29.09.2018 को निर्गत अंतिम मेधा सूची में मेधा क्रमांक 01 पर स्थित उत्तरवादी सं0–06 मो0 मेहरबान आलम के आवेदन में कॉलम 03 से 12 तक नहीं भरे जाने के कारण इनके अभ्यर्थता को अस्वीकृत करते हुए अपीलार्थी निसार अहमद का चयन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–10757/2020 में दिनांक–24.11.2022 को पारित न्याय निर्णय द्वारा उत्तरवादी सं0–07 मो0 मेहरबान आलम के पक्ष में पूर्व में इस	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 15.03.2023	न्यायालय द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–03/2019 में पारित आदेश को खंडित करते हुए इस न्यायालय को विधि के अनुसार उभय पक्षों को सुनकर मुखर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई है। उत्तरवादी सं0–06 मो0 मेहरबान आलम द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदन की कंडिका 03 से 12 को रिक्त रखा गया है, जो क्रमशः बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अर्हत्ता/निर्हत्ता के संबंध में आवश्यक वांछित सूचना आवेदन प्रपत्र में धारित किया जाना आवश्यक है, ताकि अभ्यर्थी अर्हत्ता धारित करते हैं अथवा नहीं इस संबंध में विनिश्चय किया जा सके। इस प्रकार उत्तरवादी के अपूर्ण आवेदन के आधार पर इनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अभ्यर्थता को नियमानुकूल नहीं माना जा सकता है। उक्त के आलोक में अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए संबंधित पंचायत में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु चयन समिति द्वारा निसार अहमद के पक्ष में लिये गये निर्णय को सही ठहराते हुए मो0 मेहरबान आलम के पक्ष में निर्गत अनुज्ञप्ति को निरस्त कर निसार अहमद के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश सक्षम प्राधिकार को दिया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.